POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 08.11.2025

1. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा मोबाइल टावरो के आर0आर0यू0 व अन्य उपकरण चोरी करने वाले 02 चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 आर0आर0यू0 व चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण एवं 02 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08.11.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा अभियुक्त 1.कृष्णा गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता 2. शिवम कुमार पुत्र अनिल राम को एसएमएसी कम्पनी के पास मण्डी सर्विस रोड सेक्टर- 88 के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अपराध करने का तरीका--
अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर है जो घुमफिरकर एनसीआर क्षेत्र में रैकी कर रात में मोबाइल टावरो से चढ़कर कीमती उपकरणो(आर आर यू आदि) को चोरी करते है व अपने पास अवैध हथियार रखते है तथा टावरो से चोरी किया गया कीमती आरआरयू को राह चलते कबाडियो को औने पौने दाम में बेच देते है और अवैध लाभ कमाते है।

1. अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर है जो एनसीआर क्षेत्र में चोरी की घटना कारित करते है तथा अपने पास अवैध हथियार रखते है।
2. अभियुक्तगण उपरोक्त एनसीआर क्षेत्र में भिन्न भिन्न मोबाइल टावरो जहां पर सिक्योरिटी गार्ड नही रहते वहां रेकी करके उन मोबाइल टावरो को टारगेट कर उन मोबाइल टावरो से आरआरयू व अन्य कीमती उपकरण चोरी कर लेते है।
3. अभियुक्तगण उपरोक्त चोरी के माल को राह चलते कबाडियो को ओने पौने दाम में बेच देते है।
4. यह सभी अभियुक्तगण उपरोक्त अलग अलग राज्यो से आकर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में चोरी की घटना को अन्जाम देते है।
5. यह सभी अभियुक्तगण पकड़े जाने के डर से एक जगह न रहकर निरंतर स्थान बदलते रहते हैं तथा एक जगह टिक कर नही रहते।
6. यह सभी अभियुक्तगण पकड़े जाने के डर से केवल व्हाट्सऐप्प काल का प्रयोग करते है ताकी पुलिस इनको ट्रेस न कर सके।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--
1. कृष्णा गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता मूल निवासी दुमरी जनपद बलिया हाल निवासी गली न0 03, कुलेसरा थाना ईकोटेक-03, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष शिक्षा- 09 वीं

2. शिवम कुमार पुत्र अनिल राम मूल निवासी मुंगेर थाना मुंगेर राज्य बिहार हाल निवासी किराये के मकान कन्या इन्टर कालेज के पास भंगेल थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 25 वर्ष शिक्षा- 08वीं

अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग--

मु0अ0सं0 550/2025 धारा 317(5) भारतीय न्याय संहिता-2023 व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2 ,सेन्ट्रल नोएडा थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण--

1. 02 आर आर यू (ERICSSON कम्पनी, रंग हल्का ग्रे का सिरियल नम्बर (S)CN38840129 माडल RADIO 4428) व हल्का ग्रे का सिरियल नम्बर (S)CN37388841 माडल RADIO 4432
2. 01 पेचकस
3. 01 कटर
4. 01 प्लास
5. 01 चाबी
6. 01 शिकंजा(हैण्ड टूल)
7. 02 चाकू नाजायज

2. थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेजो का प्रयोग कर बैंक एकाउण्ट बनवाकर, उक्त एकाउण्ट को साइबर अपराधियो को बेचकर डिजिटल अरेस्ट व अन्य साइबर अपराध में सहयोग करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक **08.11.2025** को **थाना फेस-3 पुलिस** द्वारा बीट पुलिसिंग व गोपनीय/इलेक्ट्रॉनिक सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1.वरूण प्रताप सिंह पुत्र प्रमोद सिंह 2. सार्थक गुप्ता पुत्र जितेन्दर कुमार 3. अर्थव दीक्षित पुत्र गोविन्द दीक्षित 4. मोनू यादव पुत्र अशोक कुमार को एम ब्लाक के पास स्थित ग्रीन बैल्ट सैक्टर 66 से सैक्टर 63 की ओर जाने वाली रास्ते से **गिरफ्तार** किया गया है। अभि0गण उपरोक्त के विरूद्ध मु.अ.स. 483/2025 धारा 318/338/336/420(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत है। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा फर्जी दस्तावेजो का प्रयोग कर बैंक एकाउण्ट बनवाकर साइबर अपराधियो को बेचा जाता था। जिसका प्रयोग डिजिटल अरेस्ट व अन्य साइबर अपराधो के लिए करते थे। साइबर अपराध में अर्जित होने वाले प्रतिदिन धन के आधार पर अभियुक्तगण ऐसा एकाउण्ट सप्लाई करते थे जिसकी लिमिट 50 लाख से 5 करोड तक होती थी।

अपराध करने का तरीका--

1. अभियुक्त मोनू यादव द्वारा रोहित यादव से किट (एकाउण्ट चैक बुक, डेबिट कार्ड, व सिम) को सप्लाई करने की जिम्मेदारी ली गयी थी। जिसको उपलब्ध कराने के लिए 60,000 रूपये प्रति एकाउण्ट तय किया गया था।
2. मोनू यादव द्वारा वरूण प्रताप सिंह उर्फ आशीष ठाकुर, सार्थक गुप्ता, अर्थव दीक्षित से अकाउण्ट डिटेल, सिम, डेबिट कार्ड प्राप्त कर रोहित यादव को दिया जाता था। इनको जब तक एकाउण्ट सक्रिय/चलेगा तब तक प्रतिदिन 50,000 रूपये का पेमेण्ट किया जाना तय था।
3. यह लोग फर्जी दस्तावेज से एकाउण्ट बनवाते थे और साइबर क्रिमिनल को बेचते थे जो इसका प्रयोग डिजिटल अरेस्ट व अन्य साइबर सम्बन्धी अपराध कारित करने में प्रयोग करते थे।
4. पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वह टेलीग्राम पर लिंक भेजकर आमजन द्वारा ऑनलाईन गेम के माध्यम से सट्टे में जो पैसा लगाया जाता वह धनराशि अभियुक्तगण से बरामद कोटेक बैंक के करेन्ट एकाउण्ट में लेते जिसके लिए उक्त एकाउण्ट की लिमिट 01 करोड रूपये प्रतिदिन की होनी थी।
5. अभियुक्तगण व्टासएप वाईस कॉल और Disappearing चैट्स का प्रयोग करते थे ताकि सबूत न मिल सके।
6. अभियुक्त मोनू यादव के मोबाइल से इनके द्वारा पूर्व में बेचे गये तीन अन्य खातो की जानकारी प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-- वरूण प्रताप सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी मौहल्ला गायत्रीनगर जी.टी. रोड बाईपास थाना बेबर जनपद मैनपुरी उम्र 35 वर्ष शिक्षा - बीए

1. सार्थक गुप्ता पुत्र जितेन्दर कुमार निवासी मौहल्ला ब्रह्मनान बेबर थाना बेबर जनपद मैनपुरी उम्र 20 वर्ष शिक्षा 10 वी पास
2. अर्थव दीक्षित पुत्र गोविन्द दीक्षित निवासी फरूखाबाद रोड बेबर निकट ए.बी.आई. बैक थाना बेबर जनपद मैनपुरी उम्र 19 वर्ष शिक्षा 12 वी पास
3. मोनू यादव पुत्र अशोक कुमार निवासी चांदेश्वर रोड गली नं0 1 ईशन नदी पुल थाना कोतवाली मैनपुरी जनपद मैनपुरी उम्र 25 वर्ष
4. शिक्षा बीएससी

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु.अ.स. 483/2025 धारा 318/338/336/420(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना फेस-3 नोएडा

बरामदगी का विवरण--

04 मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कम्पनी के

07 डेबिट कार्ड

एक चैक बुक

एक कार बलेनो सफेद रंग रजि0नं0 यूपी 84 ए एम 2186

3. थाना बिसरख पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 कार, एक मोटर साइकिल व 05 लकडी के डण्डे बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 03.11.2025 को थाना बिसरख क्षेत्रान्तर्गत वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर वादी का छोटा भाई गौरव अपने मित्र लव कुमार के साथ ग्रीन फिल्ड स्कूल तिगरी के पास स्थित अपने मकान पर बैठा था कि तभी 1. सचिन गुर्जर 2.नितिश गुर्जर निवासी दल्लुपुरा दिल्ली अपनी गाड़ी संख्या डीएल 7 सीक्यू 1896 से अपने साथियो के साथ आये और वादी के भाई के मित्र लव कुमार को ले जाकर मारने पीटने लगे जिससे वह घायल हो गया जिस पर वादी का भाई बचाने के लिए गया तो आरोपी सचिन ने जान से मारने की नियत से अपनी पिस्टल से वादी के भाई के ऊपर फायर कर दिया जिससे वादी के भाई के पैर में गोली लग गई। वादी के भाई का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है व लव कुमार की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 864/2025 धारा 115(2),351(2),109 बीएनएस बनाम 1. सचिन गुर्जर 2.नितिश गुर्जर निवासी दल्लुपुरा दिल्ली व अन्य अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। अभियोग में साक्ष्यो के आधार पर धारा191(2), 191(3),190,105 बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08.11.2025** को अभियुक्तगण 1.पंकज बाल्मिकी पुत्र मुकेश कुमार 2. संजय पुत्र सुरेश सोलंकी 3. नितिश भाटी उर्फ जादू पुत्र जय इन्दर 4. अभिषेक भाटी पुत्र गजेन्द्र भाटी 5.रितिक भाटी पुत्र सुरेन्द्र को चार मूर्ति से एटीएस गोल चक्कर की तरफ जाने वाले रास्ते से नर्सरी के पास से घटना में प्रयुक्त दो कार, व एक मोटर साइकिल व 05 डण्डो के साथ गिरफ्तार किया गया है। अन्य प्रकाश में आये अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु गठित टीमो के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण एवं आपराधिक इतिहास--

1. पंकज बाल्मिकी पुत्र मुकेश कुमार निवासी खेरली हाफिजपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर,
2. संजय पुत्र सुरेश सोलंकी निवासी जीडीए कालौनी गौर सिटी 2 गौतमबुद्धनगर
3. नितिश भाटी उर्फ जादू पुत्र जय इन्दर निवासी दल्लुपुरा दिल्ली,
4. अभिषेक भाटी पुत्र गजेन्द्र भाटी निवासी ग्राम चक्रसैनपुर दादरी गौतमबुद्धनगर,
5. रितिक भाटी पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम चक्रसैनपुर दादरी गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 864/2025 धारा 115(2),351(2),109 बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास--

पंकज बाल्मिकी पुत्र मुकेश कुमार--

1. मु0अ0सं0 617/2018 धारा 307,34 भादवि थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 0063/2024 धारा 147,148,149,308,427, 452, 504,506 भादवि थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर

3. मु0अ0सं0 204/2024 धारा 109/115(2),117(2),190,191(2),351(2),352 बीएनएस थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 1501/2021 धारा 147,148,149,201,302,307,323,34,424 भादवि थाना कोतवाली जनपद बुलन्दशहर
5. मु0अ0सं0 144/2025 धारा 125,351(2),352 बीएनएस थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. अभियुक्त नितीश भाटी के कब्जे से एक कार आई-20 कार रजि0न0 डीएल 7 सीक्यू 1896 व एक डण्डा(घटना में प्रयुक्त)
2. अभियुक्त रितिक भाटी के कब्जे से एक कार स्विफ्ट एचआर 51 सीएफ 3110 व एक डण्डा(घटना में प्रयुक्त)
3. अभियुक्त संजय के कब्जे से एक मोटर साइकिल यूपी 14 जीएम 6982 व एक डण्डा(घटना में प्रयुक्त)
4. अभिषेक भाटी से एक डण्डा(घटना में प्रयुक्त)
5. पंकज बाल्मिकी से एक डण्डा(घटना में प्रयुक्त)

4. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त छुरा (आलाकत्ल) व खूनालूदा जैकेट बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08.11.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र सुरेशचन्द को घटना के 08 घण्टे के अन्तराल में ही मदरसन कम्पनी की पिछली दीवार के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 छुरा (आलाकत्ल) व खूनालूदा जैकेट बरामद किया गया।

घटना का विवरण-- अभियुक्त सोनू पुत्र सुरेशचन्द को यह शक था कि मृतक गोलू पुत्र श्रीराम सिंह उसकी पत्नी से बात करता है बार-बार मना करने पर भी ना मानने पर अभियुक्त ने दिनांक 08.11.2025 को गोलू पुत्र श्रीराम सिंह निवासी ग्राम करचला थाना सहियाल जनपद औरैया हाल निवासी गली नंबर 37 याकूबपुर उम्र करीब 22 वर्ष पर चाकू से वार कर दिया जिससे गोलू उपरोक्त गंभीर रूप से घायल हो गया घायल गोलू को परिजनों द्वारा तत्काल अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों द्वारा गोलू उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया। वर्तमान समय में मृतक ई-रिक्शा चलाने का कार्य करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

सोनू पुत्र सुरेशचन्द निवासी ग्राम गागोपुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत हाल निवासी गली न0 37, किराये का मकान याकूबपुर थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 32 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 08 तक

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग--

मु0अ0स0 549/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण--

01 छुरा (आलाकत्ल)

01 जैकेट (खूनालूदा)